FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत– अपर जिला कलक्टर, मुकाम– डीडवाना

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1हुकमाराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी नानणा तहसील नावां जिला नागौर।		1नानूराम पुत्र देवाराम 2चिमनाराम 3मूलाराम पुत्रान बोदूराम 4दलाराम 5कानाराम पुत्रान मांगूराम जातियान जाट निवासीगण नानणा तहसील नावां जिला नागौर। 6तहसीलदार नावां जिला नागौर।

57 सं. 2020

किस्म मुकदमा– नामान्तरकरण अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-10-20	अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार नावां द्वारा मौजा नानणा के नामान्तरकरण सं. 177 दिनांक 24.11.2015 स्वीकार करने के आदेश में पारित आदेश/निर्णय से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पाडेन्ट्स जरिये सम्मन तलब हो। विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जावे। पत्रावली दिनांक 23.11.2020 को पेश हो। अपर जिला कलक्टर डीडवाना	923 13.10.2020
23.11.20	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकान/वकुलाय उपस्थित/ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी आज अवकाश/ राजकीय दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ P.O. साहब ट्रेनिंग होने से वकीलो द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित होने से पत्रावली दिनांक 04/01/21 को पेश हो	
04-01-21	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकान/वकुलाय उपस्थित/ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी आज अवकाश/ राजकीय दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ P.O साहब नागौर मिटिंग है वकीलो द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित होने से पत्रावली दिनांक 18.2.21 को पेश हो	
18.2.21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट ने उप० होकर नोट प्रेस कर जाहिर किया है कि वह इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः वकील अपीलान्ट के Note Press के आधार पर अपील अपीलान्ट withdrawl खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर [illegible] हो।	Not Press withdrawn चलाना नही चाहते